

अनुदान संख्या 62 - निर्वाचन आयोग
GRANT No. 62 – ELECTION COMMISSION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	72,17,00	72,18,00	38,81,02	-33,36,98
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत-	Voted-				
पूरक	Supplementary		5,00,00	..	-5,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	7217.00	7218.00	3881.02	-3336.98
पू.	S.	1.00			

(I) ₹3200.00 लाख का प्रावधान "प्रशिक्षण - आईआईआईडीईएम" के अंतर्गत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र संस्थान और निर्वाचन प्रबंधन परिसर के निर्माण के लिए पूंजीगत खंड की बजाय राजस्व खंड के अंतर्गत गलती से प्रावधान किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3200.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under "Training – IIIDEM"- due to inadvertent provisioning under Revenue Section for construction of India International Institute of Democracy and Election Management campus instead of Capital Section.

(II) "प्रशिक्षण - निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण दिया जाना" के अंतर्गत ₹368.54 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के

(II) Under "Training – Imparting Training for Election" – saving of ₹368.54 lakhs (against the

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मतदाता शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹234.34 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2012 में “निर्वाचन आयोग - स्थापना” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹237.57 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹500.00 लाख) दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹500.00 लाख के पूरक अनुदान का 100 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “4059”	Major Head “4059”	
लोक निर्माण कार्यों पर	Capital Outlay on	
पूंजीगत परिव्यय	Public Works	
पू.	S.	500.00
पु.	R.	-500.00

(I) ₹500.00 लाख का प्रावधान “कार्यालय भवन - निर्माण - निर्वाचन आयोग” के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र संस्थान के निर्माण कार्य और निर्वाचन प्रबंधन में विलंब होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to non-conduction of training relating to voter’s education.

2. The above savings were partly (₹234.34 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under “Election Commission – Establishment”. Actual excess, however, was ₹237.57 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹500.00 lakhs) constituted 100 percent of the supplementary grant of ₹500.00 lakhs obtained in December, 2012.

Saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
..

(I) Supplementary provision of ₹500.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under “Office Buildings – Construction – Election Commission”- due to delay in construction work of India International Institute of Democracy and Election Management.